

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल शिड्यूली केवल आवासीय प्रोजेक्ट

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 604 दिनांक 29/06/2020

श्री अरुण कुमार बोडा डी० ए० मदनलाल बोडा

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 25318/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/6363 6364

दिनांक 29/06/2020 को जमा करा दी है ।

दिनांक 29/6/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

जी०
आवासीय

P.No = 106 ए सेक्टर जी
मन्सुरिया - शास्त्री नगर

रि०
दिनेश जोशी
935299 7004
29/6/20